राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि (शष्य), कृषि विस्तार एवंम् अनुसंधान
परियोजना, रामपुरा (जोधपुर)

क्रमांकः– 190-198

दिनांकः– 26.07.17

खुली निविदा सूचना संख्या 01/2017–18

कृषि आयुक्तालय राज. जयपुर के पत्र क्रमाक 2842–51 दिनांक 04.07.2017 के क्रम में वर्ष 2017–18 हेतू फार्म पर विभिन्न कृशि कार्यो एवंम कार्यालय सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित कराने वाली फर्मो से निम्नानुसार कार्यो हेतु दो सीलबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है जो निम्नानुसार हैं –

क्र. स.	निविदा का नाम कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखो में)	बयाना राशी (हजारो में)	निविदा भुल्क (अप्रतिदेय)	निविदा प्रस्तुत करने एवम खोलने की तिथी एव समय
1	कार्य सम्बन्धित खरीफ 2017 एंव रबी 17–18 में परीक्षणों जैविक खेती, जौ बीज उत्पादन में बुवाई से लेकर कठाई एवंम भण्ड़ारण तक का समस्त कार्य तथा हरी खाद ग्वार में बुवाई से लेकर खेत में दबाने तक का कार्य।	243409/–	4900/–	200/–	इस निविदा को 11.08.2017 को 1:00 बजे तक प्रस्तुत करना तथा खोलने की दिनांक 11.08.2017 को 2:00 बजे।

उपरोक्तानुसार निविदा के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा शुल्क 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये मात्र कार्यालय मे जमा करवा कर कार्यालय समय मे दिनांक 10.08.2017 तक प्राप्त कर सकते है । निविदा की विस्तृत शर्ते http://sppp.raj.gov.in व विभागीय वेबसाईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है

(हिरेन्द्र सिंह)
उपनिदेशक कृषि(शष्य)
कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना
रामपुरा जोधपुर

क्रमांकः –

दिनांकः –

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि ए.टी.सी. राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड जोधपुर ।
3. श्रीमान एनलिस्ट कम प्रोगामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड करावे ।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।
5. लेखा शाखा /फार्म प्रभारी /कृ.प.फार्म कार्यालय हाजा ।
6. उप कोषाधिकारी (ग्रामीण) कोष कार्यालय ओंसिया, जोधपुर।

-Sd-
(हिरेन्द्र सिंह)
उपनिदेशक कृषि(शष्य)
कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना
रामपुरा जोधपुर

निविदा फार्म कमांकः–
निविदा विकय की दिनांकः–
निविदा मुल्यः–200/– नकद द्वारा

कार्यालय उप निदेशक कृषि (शष्य) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना रामपुरा जोधपुर

निविदा वर्ष 2017–18

निविदा – प्रपत्र "जी" अनुसूची

(CONTRACT FOR WORK)

(हिरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक कृषि (शस्य)
कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना
रामपु. (जोधपुर)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता –
   ....
   ....
   .... दूरभाष नम्बर ....

2. जिसको सम्बोधित किया गया :– उप निदेषक कृषि (शष्य) कृषि विस्तार एंव अनुसंधान परियोजना रामपुरा जोधपुर

3. संदर्भ निविदा .... दिनांक ....

4. निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक 27.07.2017 से 11.08.2017 को कार्यालय समय में ।

5. भरी हुई निविदा फार्म प्रस्तुत करने की दिनांक 11.08.2017 समय 1:00 बजे. एवम् खोलने की दिनांक 11.08.2017. समय. 2:00 बजे

6. सलग्न दस्तावेज – 1. पेन कार्ड की फोटो प्रति
   2. व्यक्ति/फर्म/संस्था का जी.एस.टी. प्रमाण पत्र यदि
      (अ) .फर्म रजिस्ट्रेशन के दायरे में आती है।
      (ब). जी.एस.टी. प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्रेशन नही है तो घोषणा पत्र (कि वह जी.एस.टी. के दायरे में नही आता हैं) 100/– के स्टाम्प पत्र पर
   3. श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति

   उपरोक्त दस्तावेज सलग्न होना आवश्यक है।

7. बयाना राशी 4900/– रूपये का बैंकर चेक/डी.डी. का सलग्न होना आवश्यक है। इसके बिना निविदा स्वीकार नही की जाएगी।

8. निविदा शुल्क की राषि रूपये 200/– रसीद संख्या ...... दिनांक ...... द्वारा जमा की गयी ।

9. हम **उप निदेशक कृषि (शष्य) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना रामपुरा जोधपुर** के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना वर्ष 2017–18 एवं संलग्न विवरण तथा निविदा की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है ।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल हेक्टर में	विभाग द्वारा स्वीकृत राषि (रूपये में)	निविदत (Quated) दर	अन्य विवरण
'अ' 1	**खरीफ 2017** **प्रयोग–मूंग / तिल / बाजरा / मोठ / ग्वार** फसल में बुवाई के लिये खेत तैयारी से लेकर भण्डारण तक का समस्त कार्य	0.3	8567		
2	**जैविक खेती प्रर्दशन खरीफ 2017** फसल मूंग व मोठ में बुवाई के लिये खेत तैयारी से लेकर भण्डारण तक का समस्त कार्य	2.0	30384		
3	**हरी खाद –ढेचा / ग्वार** फसल में बुवाई के लिये खेत तैयारी से लेकर पलटने / मिटटी में दबाने तक का समस्त कार्य	6.0	6804		
"ब" 1	**रबी 2017–18** **फसल परीक्षण**–सरसो / चना / गेहूँ / जौ व अन्य अनुमोदित फसल में फसल बुवाई के लिये,खेत तैयारी से लेकर भण्डारण तक का समस्त कार्य	0.2	4800		
2	**रबी 2017–18** **जौ बीज उत्पादन** अनुमोदित फसल में बुवाई के लिये खेत तैयारी से लेकर भण्डारण तक का समस्त कार्य	8.0	158672		
3	**जैविक खेती कार्यक्रम जीरा इसबगोल** फसल में बुवाई के लिये, खेत तैयारी से लेकर भण्डारण तक का समस्त कार्य	2.0	34182		
	योग		243409		

10. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपय ..../– नकद रसीद / बैकर चैंक / डी.डी.संख्या. . . . . दिनांक . . . . द्वारा जमा करा दी गयी है ।

11. मै यह प्रमाणित करता हूँ कि मैने सलंग्न विवरण एवं निविदा शर्ते पढ ली है, जो मुझे मान्य है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

(हिरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक कृषि (शस्य)
कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना
गमप. (जोधपुर)

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (शष्य) कृषि विस्तार एवं अनुसंघान परियोजना , रामपुरा ,जोघपुर

आई. पी. एम. प्रयोगशाला / फार्म कार्य की निविदा की शर्तेः–

1. ठेकेदार को कार्यालय /फार्म की मॉग अनुसार कम या अधिक श्रमिकों को नियोजित करना होगा एवं नियोजित किये गये श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान दायित्व ठेकेदार का होगा। तथा विनिर्दिष्ट व अभीष्ट कार्य समय पर सम्पादित करना होगा ।

2. ठेकेदार को सद आचरण वाले व्यक्तियो का नियोजित करना होगा । अनुशासनहीन नशा आदि व संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियो को प्रयोगशाला/फार्म में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

3. फार्म पर कृषि कार्य करने हेतु लगाये जाने वाले श्रमिकों को कृषि कार्य का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है।

4. प्रयोगशाला/फार्म प्रभारी /प्रयोगशाला /फार्म कृषि पर्यवेक्षक के निर्देशानुसार कार्य सम्पादन करवाना होगा । ऐसा नहीं करने पर प्रभारी अपने स्तर पर उक्त कार्य करवायेगें, जिसका भुगतान आपकी धरोहर राशि अथवा बकाया बिलों की राशि से काटकर किया जा सकेगा ।

5. कार्य के दौरान सम्मावित किसी भी दुर्घटना के होने पर मजदूरो की क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।

6. कार्य के दौरान वैज्ञानिको द्वारा दी गई तकनिकी हिदायतों तथा सावधनियों की पालना का दायित्व ठेकेदार का होगा।

7. आप या आपके मजदूरों द्वारा उपकरणो / सामानों आदि का जानबुझकर की गई हानि या तोड. फोड. की वसूली ठेकेदार से की जायेगी ।

8. ठेकेदार स्वंय के स्तर से किसी अन्य व्यक्ति को निविदा कार्य स्थानान्तरण नही कर सकेगा ।

9. अन्य को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा ।

10. ठेकेदार द्वारा ठेके की राशि में सुरक्षा कर्मियों को पोशाक, साईकिल/वाहन भत्ता, भविष्य निधि अथवा अन्य भत्ते की राशि सम्मिलित हैं तथा इस कार्यालय द्वारा अलग से कोई भुगतान किसी भी बाबत अदा नहीं किया जायेगा ।

10. निम्नहस्ताक्षरकर्ता को यह पूर्ण अधिकार होगा चाहे तो ठेके में सम्मिलित किसी कार्य को पूर्ण या आंशिक जो भी ठेकेदार हो करने या नहीं करवाने के लिये स्वतन्त्र होगा ।

11. ठेकेदार को सफाई आदि कार्य हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी जायेगी ।

12. प्रयोशाला / फार्म की आवश्यकतानुसार दिन के अलावा अल्प अवधि / रात्रिकाल मे भी कार्य सम्पादन करवाना होगा ।

13. प्रयोशाला / फार्म में वयस्क श्रमिको को ही नियोजित करना होगा । निविदादाता की फर्म का रजिस्ट्रेशन लेबर लॉ में होना चाहिए व इसका प्रमाण पत्र को निविदा पत्र के साथ सलग्न करना होगा।

14. प्रत्येक मानक दिवस पूर्ण आठ धण्टे का होगा तथा उक्त धण्टों को आवश्यकतानुसार अलग–अलग दो कार्य धण्टो मे विभक्त किया जा सकेगा ।

15 निदेर्शी की अवहेलना, कार्य में शिथिलता अभद्र व्यवहार आदि की स्थिति में निविदा कार्य आदेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

16 फार्म शुल्क 200/– नकद देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है कार्यालय से क्रय किया गया आवेदन फार्म ही मान्य होगा अन्य आवेदन छाया प्रति आदि निरस्त कर दिया जाएगा । निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत करनी होगी।

17 दर्शाये गये सभी कार्यो के लिए , फार्म तथा कार्यालय प्रत्येक के लियें निविदादाता को बयाना राशि 2% निविदा फार्म के साथ कार्यालय में फार्म के साथ जमा करानी होगी जो की ड़ी.डी के रूप में उपनिदेशक कृषि(शस्य) कृषि विस्तार एंवम् अनुसंधान परियोजना रामपुरा, जोधपुर के नाम पर होगी। बिना बयाना राशी के निविदा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

18निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्राप्त कर्ता का शेष राशि 3% ड़ी.डी के रूप में उपनिदेशक कृषि(शस्य) कृषि विस्तार एंवम् अनुसंधान परियोजना रामपुरा, जोधपुर के नाम पर सात दिवस में जमा कराना होगा। जो कि बयाना राशी कुल निविदा की 5% होगी जो कि कार्यालय में जमा रहेगी। साथ ही 500/– का स्टाम्प पत्र प्रस्तुत कर अनुबन्ध करना होगा।

19 ठेकेदार को भुगतान प्राप्त करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा मे खाता होना चाहिए। कार्य का भुगतान संवेदक को किया जायेगा । किसी भी व्यक्ति को सीधा भुगतान नहीं किया जायेगा .ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादित करने के बाद भुगतान बजट आवंटन के बाद किया जाएगा व भुगतान देरी पर ब्याज देय नही होगा।

20 G.S.T प्रमाण पत्र / रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यदि व्यक्ति/फर्म G.S.T के दायरे में नही आती है तो 100/– के स्टाम्प पर घोषणा पत्र देना होगा। भविष्य में व्यक्ति /फर्म के G.S.T दायरे में आता है तो प्राप्त दर वही रहेगी

उसका G.S.T भुगतान का दायित्व स्वंय का रहेगा। G.S.T समस्त कर सहित प्रस्तुत करनी होगी तथा प्राप्त किये जाने वाले भुगतान में से नियमानुसार G.S.T व अन्य सरकारी कर जो लागु होंगे उन करो की कटौती की जायेगी व कटोतियों का भुगतान ठेकेदार को करना होगा एंवम् इस सम्बनध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, समय-समय पर सशोंधित आदेश/नियमो की पालना करनी होगी।

21 विभाग व श्रमिक के बीच कोई मास्टर सर्वेन्ट रिलेशन नहीं होगा।

22. श्रमिक का नाम कार्यालय रिकार्ड में नहीं रखा जायेगा , इसकी जिम्मेदारी संवेदक की है ।

23. विभाग के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति कार्य संतोषजनक होने या उपस्थिति प्रमाण प्रत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

24. इन सप्लाई की गई मेन पावर पर पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण संवेदक का होगा ।

25 निविदा पत्र के साथ संस्था/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,, जिसके सभी नियमो का पालन करना होगा तथा सरकारी ,अर्द्ध सरकारी विभाग में कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र सलग्न करें।

26 किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपनिदेशक कृषि(शस्य) कृषि विस्तार एंवम् अनुसंधान परियोजनां रामपुरा, जोधपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, जिसे सेवा एजेंसी मानना होगा।

27 वित वर्ष कार्य अवधि निविदा निश्चित होने कि दिनांक से 1 वर्ष के लिए होगी। आपसी सहमती के आधार पर 1वर्ष/6 माह के लिए निविदा को बढाया जा सकता है।

28 निविदादाता को राजस्थान प्रोक्योरमेन्ट अधिनियम 2012 एंव नियम 2013 की शर्तो का पालन करना होगा जो उपबंध नियम उपरोक्त नियमो में सममिलित होने से रहे गयें हैं वो भी लागू होगे।

29 किसी वाद विवाद में न्यायालय जोधपुर होगा।

(हिरेन्द्र सिंह)
उपनिदेशक कृषि(शष्य)
कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना
रामपुरा जोधपुर

उक्त समस्त शर्ते मान्य है।

हस्ताक्षर निविदा दाता